न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

A 1894-I/13 अपील प्र. क्र. – /2013

1. रतनलाल पिता बगदीराम बांछड़ा
2. बगदीराम पिता केशुराम बांछड़ा

दोनो नि. ग्राम सीखेड़ी टप्पा धुंधड़का तह.जि. मंदसौर ----अपीलांटगण

//विरूद्ध//

ओमप्रकाश पिता कनीराम धाकड़

निवासी ग्राग सीखेड़ी टप्पा धुंधड़का तह. व जिला मंदसौर ----रिस्पाडेंट

अपील अंतर्गत धारा 44 (2) म.प्र. भू. रा. संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दि. 07.03.2013 प्र.क्र. 44/12–13 /अपील (ओमप्रकाश विरूद्ध रतनलाल आदि) आदेश पारित द्वारा श्री रमेश एस. थेटे अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन (म.प्र.) से व्यथित होकर

माननीय महोदय,

अपील अपीलांटगण की ओर से निम्नवत् प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि, विपक्षी रिस्पाडेंट ग्राम सीखेड़ी के सर्वे क्र. 228 को प्रार्थी अपीलांटगण की भूमि होना अपने मूल प्रार्थना पत्र धारा 131 म.प्र. भू राजस्व संहिता के चरण 2 में बतलाता है।

"जबकि रेकार्ड में सर्वे क्र. 228 शासकीय होकर **शासकीय नाला** दर्ज है।"

"सर्वे क्र. 228 से सीखेड़ी व हतुनिया का कोई रास्ता नहीं है।"

यह कि, रिस्पाडेंट द्वारा जिस भूमि सर्वे क्र.216 पर आने जाने हेतु रास्ता मांगा जा रहा है उसकी खसरा व खतोनी मूल प्रकरण में प्रस्तुत की गई है, उसमें रिस्पाडेंट भूमि सर्वे क्र. 216 के वास्तविक भूमि स्वामी राजस्व रिकार्ड अनुसार **"रूघनाथ पिता उदेराम व ओमप्रकाश पिता कनीराम है।"**

3. यह कि, रिस्पाडेंट जिस तरह से अपना रास्ता होना बतलाता है उसके अनुसार वह अपने ग्राम से निकलकर सर्वे क्र. 219 व 220 के पास से होता हुआ शासकीय नाला सर्वे क्र. 228 में स्थित जो की करीब 45 फीट चौड़ा व 5 फीट गहरा है उसमें से उतर कर व चढ़कर फिर अपीलांटगण के सर्वे क्र. 221, 222, 215 के

निरंतर .2

A 1894-R/13 अंबाला

20/4/18

अपीलांट अभिभाषक को पूर्व पेशी का नोटिस तामील फिर भी कोई उपस्थित नहीं। तीन बार पुकार लगवायी गयी। अपीलांट की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज की जाती है।

अध्यक्ष

कृ. प. उ.